राज्यं सभा

अतारांकित प्रश्ना संख्याख 1572

11 मार्च, 2015 को उत्तंर के लिए

सीएसआर योजना के अंतर्गत अनुबंध दिये जाने में अनियमितताएं

1572. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रम और निजी इस्पात कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू करने हेतु धनराशि आबंटित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत इन कंपनियों द्वारा आवंटित कुल निधियों तथा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कंपनी और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन अनुबंधों को दिये जाने एवं इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में घोर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्त)र

इस्पारतऔर खान राज्यो मंत्री **श्री विष्णुत देव साय**

(क) और (ख) :निगमित सामाजिक उत्त्रदायित्व (सीएसआर) स्कीेम के अन्तषर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पासत निर्माता उपक्रम नामश: स्टीेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीव सय इस्पाेत निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) सीएसआर कार्यों के लिए निधियों का आबंटन कंपनीज़ एक्ट , 2013 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन कंपनियों द्वारा सीएसआर स्कीशम के अन्तर्गत आबंटित की गई निधियों का ब्यौ रा निम्नकवत है:-

(लाख रूपये में)

वर्ष	सेल	आरआईएनएल
2011-12	6400	1200
2012-13	4200	750
2013-14	4000	750
2014-15	7800	1423

इस्पानत एक नियंत्रणमुक्त) क्षेत्र है और इसलिए निजी क्षेत्र की इस्पातत कंपनियों की सीएसआर निधियों के संबंध में सूचनाएं इस्पा त मंत्रालय में नहीं रखी जाती हैं।

सीएसआर के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनायें अन्यी के साथ-साथ जलापूर्ति व्यसवस्था, सिंचाई सुविधाएं , स्वा स्य्थ एवं परिवार कल्या ण, स्वपच्छनता एवं जन स्वास्य्, स्कूलौलों में शौचालय और भवनों का निर्माण , स्कूईलों में शैक्षिक सामग्रियों की आपूर्ति, व्यववसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने, विद्युत सुविधा, सौर प्रकाश प्रणाली, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत इत्या दि से संबंधित होती हैं। ये परियोजनाएं छत्तीासगढ़, ओडिशा, पंश्चिम बंगाल , झारखण्ड, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, उत्त्र प्रदेश, बिहार , उत्तराखण्डप इत्यादि राज्यों मे स्थित हैं। सीएसआर स्कीहम के तहत निधियां आवंटन राज्यशवार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): सीएसआर कार्यों के संबंध में छिट पुट शिकायतें समय-समय पर प्राप्त् होती रहती हैं। ये शिकायतें, जब भी प्राप्त: होती है, मामले पर उचित कार्रवाई किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेज दी जाती हैं।

****